फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

वादी | **बनाम** | **प्रतिवादी**

बाबुलाल वगैरा | | **छोगारम वगैरा**

किस्म

मुकदमा 212 आर.टी.एक्ट. मुकदमा नम्बर 338 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
20.6.2018	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार – 2018 केम्प कोर्ट **बावरला** में प्रस्तुत हुई। हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.7.11को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने हेतु कोई निवेदन भी नहीं किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा का एक त्वरित उपचार है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विगत **07** वर्षो से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उन्होने किसी प्रकार का इसे प्राप्त करने हेतु प्रयास नहीं किया हैं विधि अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र का निस्तारण छः माह के भीतर किया जाना भी आवश्यक है। जिससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को वर्तमान में शीघ्र उपचार की कोई आवश्यकता नहीं रही हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण को भविष्य में आवयश्यकता होने पर विधि अनुसार पुनः अस्थाइ निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हों। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)जोधपुर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	

Scanned by CamScanner